रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2012/वैशाख 17, 1934
No. 200] NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2012/VAISAKHA 17, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2012

सा.का.नि. 337(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2009 की सुरक्षा पर्यवेक्षक पद से संबंधित अनुसूची के स्तभ 14 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"14 . सुरक्षा पर्यवेक्षक	02* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड – 2, वेतनमान 9300-34800 रु. +ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष द्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री; और (ii) सरकारी या मान्यता प्राप्त संगठनों में सुरक्षा पर्यवेक्षण और अग्नि-शामक कार्य में तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय- सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान से सुरक्षा या अग्नि शमक उपकरणों के अनुरक्षण में डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण करतें हैं , या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड- I, वेतनमान 5200-20200 रू. +ग्रेडवेतन 2800 रु. या समतुल्य में तीन वर्ष नियमित सेवा की हैं, और सुरक्षा पर्यवेक्षण या अग्नि-शामक कार्य में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड- I,वेतनमान 5200-20200 रू. +ग्रेडवेतन 2400 रु. या समतुल्य में सात वर्ष नियमित सेवा की है; और सुरक्षा पर्यवेक्षण या अग्नि-शामक कार्य में तीन वर्ष का अनुभव रखतें हैं । आमेलन: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण करतें हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड-I, वेतनमान 5200-20200 रु + ग्रेडवेतन 2800 रु. या समतुल्य में चार वर्ष नियमित सेवा की है ; और सुरक्षा पर्यवेक्षण या अग्नि-शामक कार्य में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं , या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -I, वेतनमान 5200-20200 रु + ग्रेडवेतन 2400 रु. या समतुल्य में , और सात वर्ष नियमित सेवा की है; और सुरक्षा पर्यवेक्षण या अग्नि-शामक कार्य में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गयी समझी जाएगी।

	टिप्पण 4- जहां प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पदधारी का आमेलन के लिए विचार हेतु आमेलन की तिथि पर ग्रेड वेतन 2800 रु में 06 वर्ष की नियमित सेवा और ग्रेड वेतन 2400 रु में दस वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है। भूतपर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और उनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह 'ख' चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. कार्मिक, प्रमुख, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष 2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से एक अधिकारी जो संयुक्त निदेशक, से निम्न पक्ति का न हो। - सदस्य 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से भिन्न किसी मंत्रालय/विभाग से एक अधिकारी जो उप सचिव, भारत सरकार स्तर से निम्न पंक्ति का न हो। - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1(2)/2009-कार्मिक-III]

डॉ. अनिता भटनागर जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 14.01.2010 को सं.का.नि. सं. 32 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नवत अधिसूचना द्वारा उनमें संशोधन किए गए।

i. सा.का.नि. 75 (अ), दिनांक 12 फरवरी, 2010;

ii. सा.का.नि. 644 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 2010;

iii. सा.का.नि. 32 (अ), दिनांक 13 जनवरी, 2011;

iv. सा.का.नि. 891(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 2011.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2012

G.S.R. 337(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2009, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'B' posts) Recruitment Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2009, against serial number 14 relating to the post of Security Supervisor, for the entries the following shall be substituted, namely:-

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and Grade pay/ scale of pay.	Whether selection or non-selection post.
1	2	3	4	5
"14. Security Supervisor.	2* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	PB-2, Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4200/-.	Not applicable.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
6.	7.	8.	9.	10.
Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of	Essential: (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and (ii) three years of experience of supervising security or fire fighting work in Government or recognised Organisations. Desirable: Degree or Diploma or	Not applicable	Two years for direct recruits

	Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).	Certificate in maintenance of Security or fire fighting equipments from Government or recognised institutes.		

Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11.	12.	13.	14.
Direct recruitment or absorption failing which by deputation	Deputation :- Officers of the Central or State Governments or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies: - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years regular service in PB-I in the scale of pay of Rs. 5200-20200/- with Grade Pay Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre or department; and three years experience of supervising security or fire fighting work; or (iii)with seven years regular service in PB-I in the scale of pay of Rs. 5200-20200/- with Grade Pay Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre or department; and three years experience of supervising security or fire fighting work. Absorption : (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with four years regular service in PB-I in the scale of pay of Rs. 5200-20200/- with Grade Pay Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre or department; and three years experience of supervising security or fire fighting work; or (iii) with seven years regular service in PB-I in the scale of pay of Rs. 5200-20200/- with Grade Pay Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre or department; and three years experience of supervising security or fire fighting work.	Group 'B' Selection Committee consisting of the following:- 1. Head of Personnel, Department of Electronics and Information Technology — Chairman. 2. One Officer not below the rank of Joint Director, Department of Electronics and Information Technology — Member 3. One Officer not below than the rank of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry/ Department other than the Department of Electronics and Information Technology — Member	Not applicable".

	Note: 1.—Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. Note: 2—The maximum age limit for appointment on deputation including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note.3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 on the date from which the revised pay structure based on the Sixth central pay commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Note 4—In case the incumbent appointed on deputation is considered for absorption, he/she should have completed six years of regular service in the grade pay of Rs. 2800/- and 10 years of regular service in the grade pay of Rs. 2400/- on the date of absorption. For Ex-Serviceman: Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be considered on re-employment.		

[F. No. 1(2)/2009-Pers. III]

Dr. ANITA BHATNAGAR JAIN, Jt. Secy.

Note : Principal Rules were published vide G.S.R. No. 32(E) dated 14th January, 2010 and subsequently amended vide notification numbers :

(i) G.S.R. 75(E) dated 12th February, 2010 ;
(ii) G.S.R. 644(E) dated 30th July, 2010;
(iii) G.S.R. 32(E) dated 13th January, 2011;
(iv) G.S.R. 891(E) dated 21st December, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.